न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 –17/2018

अनवान : –

1. आदराम पुत्र जोधाराम जाति खाती तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

ब ना म

1. तहसीलदार राजस्व तहसील भादराजिला हनुमानगढ राजसस्थान ।

:– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड में नाम दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 भ–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–श्री श्यामसुन्दर – **प्रार्थी**
पेरोकार राज – **अप्रार्थी**

दिनांक: 20/02/2020

निर्णय

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता संख्या 19/17 के खसरा संख्या 379 जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 में प्रार्थी आदराम उर्फ लिलु पुत्र श्री जोधाराम के नाम खातेदारी दर्ज है। एवं इसी प्रकार रौही मलसीसर के खाता संख्या 261/268 में प्रार्थी लिलाधर पुत्र जोधा कौम खाती के नाम खोतेदारी दर्ज है।

प्रार्थी को उपर वर्णित भूमी विरासतन अपने पिता जोधाराम से प्राप्त हुई। उक्त दोनों खातों की भूमिं में प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय सहबन से खाता सं 19/17 में आदराम उर्फ लिलु तथा खाता संख्या 261/268 में लिलाधर पुत्र जोधा कौम खाती दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी का सही नाम आदराम पुत्र जोधाराम है। प्रार्थी के राशन कार्ड पहचान पत्र आधार कार्ड सभी दस्तावेज आदराम नाम से ही है।

उक्त भूल सद्भावी है। उक्त नाम में संशोधित नहीं होने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पडेगा। प्रार्थी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए प्रार्थी अपनी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम आदराम उर्फ लिलु तथा लिलाधर पुत्र जोधा कौम खाती जरिए संशोधन दुरूस्त करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया।

बहस सुनी गई।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा मलसीसर के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। कि उपर वर्णित कृषी भूमी प्रार्थी को अपने पिता जोधाराम से विरासतन

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्राप्त हुई है। उपरोक्त वर्णित दोनों खातों की कृषी भूमी में प्रार्थी का नाम आदराम उर्फ लिलु व लिलाधर पुत्र जोधा कौम खाती दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम आदराम पुत्र जोधाराम है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मलसीसर प्रदर्श 1 चित्रप्रति राशन कार्ड प्रदर्श 2ए चित्रप्रति पहचान पत्र प्रदर्श 3ए व चित्रप्रति आधार कार्ड प्रदर्श 4ए जमाबंदी मलसीसर संवत 2071 से 2074 खसरा न0 379 प्रदर्श 5 जमाबंदी ग्राम मलसीसर सवंत 2071 से 2074 खाता संख्या 261/268 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवायें। साथ ही प्रार्थी के भाई भंवरलाल पुत्र जोधाराम तथा पुनमचंद पुत्र जोधाराम के साक्ष्य भी करवाये गये जिन्होने प्रार्थी का सही नाम आदराम पुत्र जोधाराम होना बताया। इस प्रकार प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता संख्या 19/17 में दर्ज आदराम उर्फ लिलु तथा खाता संख्या 261/268 में दर्ज लिलाधर पुत्र जोधा कौम खाती की जगह प्रार्थी का सही नाम आदराम पुत्र जोधाराम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/2/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.03.16 15:05:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: